ज़बीहे एसाले सवाब

आला हज़रत इमाम-ए-अहले सुन्नत
इमाम अहमद रज़ा
रदि़यल्लाहो तआ़ला अन्हो

रज़ा एकेडमी मुंबई-3

औलिया अल्लाह के एसाले सवाब के लिए ज़बीहे
(ज़ब्ह किये हुए जानवर) के हलाल होने का सुबूत

سبل الاصفیا فی حکم الذبح للاولیاء

यानी

ज़बीहे एसाले सवाब

तसनीफ़

इमामे अहले सुन्नत आला हज़रत
इमाम अहमद रज़ा رضی اللہ عنہ

बफ़ैज़ :-

हुज़ूर मुफ़्तिए अअ्ज़म हज़रत अल्लामा शाह
मुहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा क़ादिरी नूरी (अलैहिर्रहमा)

नाशिर : रज़ा एकेडमी

२६, कांबेकर स्ट्रीट, मुम्बई-४०० ००३
फ़ोन नं.: ३७३७६८१-३७०२२९६

सिलसिलए इशाअत नं. २५१

(जुमला हुक़ूक़ महफ़ूज़ हैं)

किताब	:	ज़बीह-ए-एसाले सवाब
मुसन्निफ़	:	आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ
तर्जमा	:	मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ अशरफ़ी रज़वी
नाज़िमे इशाअत	:	मौलाना मुहम्मद नईमुद्दीन रज़वी साहब
पहला ऐडीशन	:	१९९९

नाशिर

रज़ा एकेडमी,

२६, कांबेकर स्ट्रीट, मुम्बई-४०० ००३.

आप सुन्नी है और

इमाम अहमद रज़ा رضی اللہ تعالیٰ عنہ

को नहीं जानते ?

तअज्जुब

है !!!

पेशे अलफ़ाज़

मुसलमानों में बाज़ लोग बुज़ुर्गाने दीन के एसाले सवाब के लिए जानवर पालते हैं या ख़रीद कर लाते है और उसे ज़ब्ह करके उसकी नियाज़ या फिर उस का गोश्त तक़सीम करते हैं और उसका सवाब किसी बुज़ुर्ग की तरफ़ मनसुब कर देतें है, पूछने पर कह देते हैं के येह फ़लॉ बुज़ुर्ग के नाम का जानवर हैं । इस तरीक़े को ग़ैर मुक़ल्लेदीन, वहाबी, देवबन्दी, शिर्क व कुफ़्र कहते हैं और समझते है के वोह जानवर हराम हो गया और हराम भी ऐसा कि अल्लाह का नाम ले कर भी ज़ब्ह करने से हलाल नही होता, उस नियाज़ के जानवर के खाने को ग़ैरुल्लाह का खाना बता कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं । अपनी इस हरकत के सुबूत में वोह क़ुरआन की आयते करीमा———— وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ पेश करते हैं और इसका तर्जमा येह बताते है कि—"और वोह जानवर हराम है जिसे ग़ैर खुदा की तरफ़ मनसुब कर दिया जाए" । जबकी येह इस आयत का हरगिज़ मतलब नहीं बल्कि तमाम मुफ़स्सेरीन ने इस आयत का मतलब येह बयान किया हैं कि----"जिस जानवर को ज़ब्ह करते वक़्त ग़ैर खुदा का नाम लिया जाए वोह हराम है" । चुनानचे हज़रत शाह वली अल्लाह मोहद्दिस दहलवी जिन्हें वहाबी भी बहुत मानते है वोह भी इस आयत का यही तर्जमा करते हैं । इस आयत के तर्जमे में उन्हों ने लिखा है—وآنچہ آواز بلند کردہ شود در ذبح (यानी वोह जानवर (हराम है) जिस के ज़ब्ह करते वक़्त ग़ैरुल्लाह का नाम बुलन्द किया जाए ।) (ـوـــ بغیر خدا (فتح الرحمن

और अगर फ़र्ज़ कीजिये क़ुरआन की इस आयत का मतलब वोह होता जो वहाबीयों ने समझा है तो क़ुरआन में दुसरी जगह येह इरशाद न होता कि—अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है----- وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ـ الآية
तर्जमा :- "और तुम्हें क्या हुआ कि उस में से न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया वोह तुम से मुफ़स्सल बयान कर चुका जो कुछ तुम पर हराम हुआ" । (पारा सूरए अन्आम, आयत 119)

अहले सुन्नत का अक़ीदा येह हैं के जब एक मुसलमान अल्लाह तआला के लिए अल्लाह का नाम लेकर ज़ब्ह करता है और उसी के लिए जानवर का खून बहाता है और उस का गोश्त पका कर लोगों को खिलाता है और इस सारे अमल का सवाब किसी बुज़ुर्ग को पहुँचाता है तो कोई वजह नही के उसे हराम क़रार दिया जाए ।

तमाम मुफ़स्सेरी के नज़दीक सिर्फ़ वोह जानवर ही हराम है जिस के ज़ब्ह के वक़्त ग़ैरुल्लाह का नाम लिया जाए न की किसी बुज़ुर्ग की तरफ़ उस जानवर की निसबत कर देना उसे हराम करेगा । अगर किसी की तरफ़ निसबत कर देने से जानवर हराम हो जाए तो फिर फ़लॉ की बकरी, फ़लॉ के अक़ीक़े का बकरा, फ़लॉ के वलीमे की गाये वग़ैरा कहने से भी येह जानवर हराम हो जाएगे । (मआज़ल्लाह)

ज़ेरे नज़र किताब इमामे अहले सुन्नत ने 1312 हिजरी में तहरीर फ़रमाई थी, इस किताब में आला हज़रत ने क़ुरआने करीम, हदीसे मुबारका, व ओलामा-ए-दीन की किताबों से इस मस्अले को तफ़सील के साथ वज़ेह फ़रमा दिया है ।

मौला तआला मुसलमानों को नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाये । आमीन ।

بسم الله الرحمن الرحيم

मस्अला

क्या फ़रमाते है ओ़लमा-ए-दीन इस मस्अले में के ज़ैद ने एक बकरा मियाँ का और अ़म्र ने एक गाये चहेल तन (यानी सैय्यद अहमद कबीर رحمۃ اللہ) की और मुर्ग़ा मदार (यानी शेख बदीऊद्दीन मदार मकन पुरी رحمۃ اللہ علیہ) का पाला और पाल कर उन को तकबीर (बिस्मिल्लाहि अल्लाहो अकबर) कह कर ज़ब्ह किया या किसी से कराया । उस का खाना मुसलमान को शरीअ़त में जाइज़ है या नहीं ?

अलजवाब

हक़ इस मस्अले में येह है कि ज़ब्ह किये हुए जानवर के हलाल व हराम होने में ज़ब्ह करने वाले की नियत का एतेबार है, न जानवर के मालिक का । मसलन किसी मुसलमान का जानवर कोई मजूसी (आग को पूजने वला) ज़ब्ह करे तो हराम हो गया अगरचे जानवर का मालिक मुस्लिम था । और मजूसी का जानवर मुसलमान ज़ब्ह करे तो हलाल, अगरचे जानवर का मालिक मुश्रिक था । इसी तरह ज़ैद का जानवर अ़म्र ज़ब्ह करे और जान बुझ कर तकबीर न कहे वोह जानवर हराम हो गया अगरचे जानवर का मालिक अ़म्र बराबर खड़े सौ बार بسم الله الله اكبر (बिस्मिल्लाहि अल्लाहो अकबर) कहता रहे । और ज़ब्ह करने वाला तकबीर से ज़ब्ह करे तो हलाल हो गया अगरचे जानवर का मालिक एक बार भी न कहे । ज़ब्ह करने वाला मुसलमान सिर्फ़ ग़ैर खुदा की ईबादत व तअ़ज़ीम की नियत से जानवर ज़ब्ह करे तो हराम हो गया अगरचे जानवर के मालिक की नियत ख़ास अल्लाह عزوجل के लिए ज़ब्ह करने की थी । यूँही ज़ब्ह करने

वाले ने ख़ास अल्लाह عزوجل के लिए ज़ब्ह किया अगरचे मालिक की नियत किसी और के वास्ते थी ।

तमाम सूरतों में ज़ब्ह करने वाले के हाल (व नियत) का एतेबार मानना और ख़ास शक्ल में इन्कार कर जाना सिर्फ़ बे कार को ज़बारदस्ती है जिस पर शरीअ़ते मुतहर से हरगिज़ दलील नही । लिहाज़ा फ़िक़हा-ए-किराम ख़ास इस बात को साफ़ तौर पर फ़रमाते है के, मसलन मजूसी (आग पूजने वाले काफ़िर) ने अपने अतीश्कदेह (अग्निकुंड) या मुश्रिक ने अपने बुतों के लिए मुसलमान से बकरी ज़ब्ह कराई और उस ने तकबीर कह कर ज़ब्ह किया तो हलाल है, खाई जाए, अगरचे येह बात मुस्लिम के हक़ में मकरूह है । "फ़तावे अलमगीरी" व "फ़तावे तातार ख़ानिया" व "जामेउल फ़तावा" मे है ---

مُسلم ذبح شاۃ المجوسی لبیت نارھم او الکافر لآلھتھم
تؤکل لانہ سمّی اللہ تعالیٰ ویکرہ للمسلم -

(तर्जमा :- यानी मुसलमान ने आग की पूजा करने वाले काफ़िर की बकरी उनके आतिशकदेह (अग्निकंड) के लिए या काफ़िर की बकरी उनके बुतों के लिए ज़ब्ह की तो वोह हलाल है क्योंकि मुसलमान ने ज़ब्ह के वक़्त अल्लाह तआ़ला का नाम लिया है, हॉ येह बात मुस्लिम के हक़ में मकरूह है ।)

फिर मुसलमान ज़ब्ह करने वाले की नियत भी ज़ब्ह के वक़्त की क़ाबिले क़ुबूल है ज़ब्ह करने से पहले और बाद का एतेबार नहीं । ज़ब्ह से एक आन पहले तक ख़ास अल्लाह عزوجل के लिए नियत थी ज़ब्ह करते वक़्त ग़ैर खुदा के लिए जानवर ज़ब्ह कर दिया तो ज़ब्ह किया हुआ जानवर हराम हो गया । वोह पहली नियत कुछ नफ़ा न देगी । यूँही अगर ज़ब्ह से पहले ग़ैर खुदा के लिए इरादा था ज़ब्ह के वक़्त उस से ताएब हो कर (यानी तौबा करके) मौला तबारक व तआ़ला के लिए जानवर का खून बहाया तो वोह हलाल हो गया यहाँ वोह पहली नियत कुछ नुक़सान न देगी ।

"रद्दुल मोतार" में है-----------------------------------

اعلم ان المدار على القصد عند ابتداء الذبح -

(*तर्जमा :-* जान तू के ज़ब्ह करने के वक़्त नियत पर सब कुछ है ।)

गर्ज़ हर अक़लमन्द जानता है के तमाम कामों में अस्ल नियत है, नमाज़ से पहले खुदा के लिए नियत थी तकबीर कहते वक़्त दिखावे के लिए पढ़ी यक़ीनन बहुत बड़े गुनाह का हक़दार हुआ और नमाज़ ना क़ाबिले क़ुबूल, और दिखावे के लिए उठा था नियत बान्धते वक़्त तक यही इरादा था जब नियत बान्धी ख़ास इरादा रब्बुल इज़्ज़त के लिए कर लिया तो बेशक वोह नमाज़ पाक व साफ़ व नेकी व क़ुबूल हो गई । तो ज़ब्ह से पहले की शोहरत, पुकार का कुछ एतेबार नहीं उस का फ़ायदा न नफ़ा दे, न नुक़सान कुछ नुक़सान दे, ख़ास जब के पुकारने वाला ज़ब्ह करने वाला न हो के उसे इस बारे में कुछ दख़्ल ही नहीं ।

كما قد علمت وهذا كله ظاهر جدا لا يصلح ان يتنازع فيه قرناء وحا -

(*तर्जमा :-* जैसा के तू ने जान लिया और सब बिल्कुल ज़ाहिर है इस लाएक़ नहीं के उस में लड़ा जाए ।)

फिर किसी चीज़ को किसी की तरफ़ मन्सुब करना ईबादत नही के ज़बरदस्ती (शेख़ बदीऊद्दीन) मदार के मुर्ग़े या चहल तन (सैय्यद अहमद कबीर) की गाये के मअ्नी ठहरा लिए जाए के वोह मुर्ग़ा व गाये जिस से इन हज़रात की ईबादत की जाएगी, जिस की जान उन के लिए दी जाएगी, किसी चीज़ को किसी की तरफ़ मन्सुब करने को अदना तअ्ल्लुक़ काफ़ी होता है । ज़ोहर की नमाज़, जनाज़े की नमाज़, मुसाफ़िर की नमाज़, इमाम की नमाज़, मुक़्तदी की नमाज़, बीमार की नमाज़, पीर का रोज़ा, ऊँटों की ज़कात, काबे का हज, । जब इन चीज़ों को इस तरह मन्सुब करने से नमाज़ वग़ैरा में कुफ़्र व शिर्क व हराम तो दूर कराहत (ना पसंदगी) भी नहीं आती तो हज़रत मदार के मुर्ग़ हज़रत अहमद कबीर की गाये, फलाँ की बकरी कहने से येह खुदा के हलाल किये हुए जानवर क्यों जीते जी मुरदार और

सुवर हो गए के अब किसी तरह हलाल नहीं हो सकते । येह शरीअ़त पर सख़्त जुर्अत है । ख़ुद हुज़ूर पुरनूर सैय्यदुल मुर्सलीन صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم फ़रमाते है-----------------------

ان احب الصیام الی اللہ تعالیٰ صیام داؤد واحب الصلوٰۃ الی اللہ عزوجل صلوٰۃ داؤد - (رواہ الائمۃ احمد والستۃ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما الا الترمذی فعندہ فضل الصیام وحدہ -)

"बेशक सब रोज़ों में प्यारे अल्लाह तआ़ला को दाऊद علیہ السلام के रोज़े है, और सब नमाज़ो में प्यारी दाऊद علیہ السلام की नमाज़ है" ।

ओ़लमा फ़रमाते है मुस्तहब नमाज़ों में "सलातुल वालिदैन" यानी माँ बाप की नमाज़ है । فی رد المحتار عن الشیخ اسماعیل عن شرح شرعۃ الاسلام من المندوبات صلوٰۃ التوبۃ وصلاۃ الوالدین -

(*तर्जमा* :- रद्दुल मोहतार में शेख़ इस्माईल से है वोह "शरहे शुरअ़तुल" इस्लाम से नक्ल करते है के नमाज़े तौबा और वालदैन की नमाज़ मुस्तहबों में से है ।)

سبحان اللہ । दाऊद علیہ السلام की नमाज़ दाऊद علیہ السلام के रोज़े, माँ बाप की नमाज़ कहना दुरूस्त व सही, पढ़ना सवाब और जानवरों को किसी की तरफ़ मन्सुब करना ही वोह सख़्त आफ़त के उस के मानने वाले, कुफ़्फ़ार, जानवर मुरदार, !! क्या ज़ब्ह करना नमाज़ रोज़े से बड़ कर ईबादते ख़ुदा है या उन में शिर्क हराम, इन में सही ।

जानवर को किसी की तरफ़ मन्सुब करने और ज़ब्ह का फ़र्क़ सुनिये--रसूलुल्लाह صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم फ़रमाते है--------------

"لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ" -

"ख़ुदा की लअ़नत उस पर जो ग़ैर ख़ुदा के लिए ज़ब्ह करे" ।

(रिवायत किया इसे मुस्लिम व नसाई ने हज़रत अमीरूल मोमेनीन मौला अली से और अहमद ने इब्ने अब्बास رضی اللہ تعالیٰ عنہم से)

दुसरी हदीस में है---रसूलुल्लाह صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم फ़रमाते है--------

"من ذبح لضیفہ ذبیحۃ کانت فداءہ من النار"

"जो अपने महमान के लिए जानवर ज़ब्ह करे वोह जानवर उसका फ़िदया (बचाने वाला) हो जाए दोज़ख़ की आग से" ।
(रिवायत किया हाकिम ने अपनी तारीख़ में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہم से)

तो मालूम हुआ के ग़ैर खुदा के लिए ज़ब्ह करने में नियत और किसी बुज़ुर्ग की तरफ़ निस्बत आम कुफ़्र क्या हराम भी नही बल्कि सवाब का ज़रीया है, तो एक हुक्मे आम कुफ़्र व हराम क्यों कर सही हो सकता है ।

लिहाज़ा ओलमा फ़रमाते है आम ग़ैर की नियत (यानी किसी बुज़ुर्ग की तरफ़ निस्बत) को ना जाइज़ जानने वाला सख़्त जाहिल और क़ुरआन व हदीस व अक़्ल का मुख़ालिफ़ है । आख़िर क़साब की नियत नफ़ा हासिल करना, और शादी में जानवर ज़ब्ह करने वाले की नियत बरात को खाना देना है । ग़ैर की नियत तो येह भी हुई, क्या येह सब ज़बीहे (ज़ब्ह किये हुए जानवर) हराम हो जाएगे ! यूँही महमान के वासते जानवर ज़ब्ह करना दुरूस्त व सही है के महमान का एहतराम ख़ास खुदा की तअज़ीम है । "दुर्रे मुख़्तार" में है-----

لو ذبح لضيف لايحرم لانه سنة الخليل واكرام الضيف اكرام الله تعالىٰ -

(*तर्जमा :-* अगर महमान के लिए जानवर ज़ब्ह किया तो हराम नही इस लिए के येह हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह علیہ السلام की सुन्नत है और महमान की इज़्ज़त करना खुदा की इज़्ज़त है ।)

"रद्दुल मोहतार" में है--------------------------------

قال البزازی ومن ظن انه لايحل لانه ذبح لاكرام ابن
ادم فيكون اهل به لغير الله تعالىٰ فقد خالف القرآن
الحديث والعقل فانه لاريب ان القصاب يذبح للربح ولو
علم انه بنجس لايذبح فيلزم هذا الجاهل ان لاياكل ما ذبحه القصاب
وما ذبح للولائم والاعراس والعقيقة -

(*तर्जमा :-* बज़्ज़ार ने कहा--और जिसने गुमान किया के येह हलाल नही इस लिए के किसी शख़्स की तअज़ीम के लिए ज़ब्ह किया गया

है तो येह اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ में दाख़िल है । ऐसा कहने वाले ने क़ुरआन व हदीस और अक्ल की मुख़ालेफ़त की, इस लिए के इस में कोई शक नहीं के क़साब नफ़ा के लिए ज़ब्ह करता है और अगर उसे मालूम हो के उस में घाटा होगा तो वोह कभी ज़ब्ह न करे । तो उस जाहिल को ज़रूरी है के जानवर को न खाए और ऐसे ही वलीमा, शादी, और अक़ीक़ा के लिए जो जानवर ज़ब्ह हो उसको भी न खाए ।)

देखो ! ओ़लमा-ए-किराम साफ़ इरशाद फ़रमाते हैं के आ़म नियत व गै़र की तरफ़ निस्बत करने को ना जाइज़ जानना और اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ में दाख़िल मानना न सिर्फ़ जहालत बल्कि पागल पन व दीवानगी और शरीअ़त व अक्ल दोनों से बेगानगी है, जब दुनिया को नफ़ा देने की नियत नुक़सानदाह न हुई तो फ़ातिहा व एसाले सवाब में क्या ज़हेर मिल गया । और जब महमान की तअ़ज़ीम ख़ास ख़ुदा की तअ़ज़ीम ठहरा तो औलिया की तअ़ज़ीम महमान की तअ़ज़ीम से बड़ कर हुई ।

हाँ अगर कोई बड़ा जाहिल येह निसबत व किसी की तरफ़ जानवर को गै़र की ईबादत के मक़सद से मन्सुब करता है तो उसके कुफ़्र में शक नहीं । फिर भी अगर ज़ब्ह करने वाला उस नियत से बरी है (यानी उसकी नियत गै़र की ईबादत की नहीं) तो जानवर हलाल हो जाएगा के गै़र की नियत उस पर असर नहीं डालती -كما حققنا فافهم

मगर जब के हम हदीसों व फ़ीक़हा-ए-किराम की दलीलों' से साबित कर चुके के किसी की तरफ़ जानवर मन्सुब करना ईबादत की ग़र्ज़ से नहीं तो सिर्फ़ इस बिना पर हुक्मे कुफ़्र देना सिर्फ़ जहालत व जुर्अत व यक़ीनन हराम और मुसलमान पर ना हक़ बद गुमानी है । तुम से किस ने कह दिया के वोह आदिमों का जानवर कहने से आदमियों की ईबादत का इरादा करते हैं और उन्हें अपना मअ़बूद (ख़ुदा) बनाना चाहते है ।

अल्लाह عزوجل फ़रमाता है-----------------------

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ -

"अए ईमान वालो ! बहुत से गुमानों से बचो बेशक कुछ गुमान गुनाह है" ।

और फ़रमाता है अल्लाह तआ़ला-----------------------

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۚ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا -

"बे यक़ीन बात के पीछे न पड़, बेशक कान ऑख़ और दिल सब से सवाल होना है" ।

रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم फ़रमाते है-----------------------

اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث -

"बुरे गुमान से बचो के गुमान सब से बड़ कर झूटी बात है" ।

(रिवायत किया इसे इमाम मालिक व बुख़ारी मुस्लिम व अबूदाऊद व तिर्मीज़ी ने हज़रत अबूहुरैरह رضى الله تعالى عنه से)

और फ़रमाते है रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم-----------------------

"तू ने उस का दिल चीर कर क्यों न देखा, के दिल के अक़ीदे पर तुझे ख़बर हो जाती" । افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا

(रिवायत किया इसे मुस्लिम ने असामा बिन ज़ैद رضى الله تعالى عنهما से)

इमाम आ़रिफ़ बिल्लाह सैय्यदी अहमद ज़रूक़ رضى الله عنه फ़रमाते है--

انما ينشأ الظن الخبيث عن القلب الخبيث -

"बद गुमान, ख़बीस ही दिल से पैदा होता है" ।

(नक़्ल किया इसे सैय्यदी अब्दुल ग़नी नाबलसी ने शरहुल तरीकतुल मुहम्मदिया में)

लिहाज़ा "मुन्यिा" व "ज़ख़ीरह" व "शरहे वहबानिया" व "दुर्रे मुख़्तार" वग़ैरा में इरशाद फ़रमाया-----

انا لا نسيئ الظن بالمسلم انه يتقرب الى الآدمى بهذا النحر -

"हम मुसलामन पर बद गुमानी नहीं करते के वोह इस ज़ब्ह से आदमी की तरफ़ क़ुर्बत चाहता है" ।

रद्दुल मोहतार में है -----

ای علی وجہ العبادۃ لانہ المکفر وھذا البعید من حال المسلم -
"यानी इस क़ुर्बत से अगर ईबादत मुराद है तो इस में कुफ़्र है और इस का ख़्याल मुसलमान के हाल से दूर है" ।

बल्कि ओलमा तो यहाँ तक फ़रमाते है के अगर ख़ूद ज़ब्ह करने वाला ज़ब्ह के वक्त तकबीर में यूँ कहे بسم اللہ بنام خدائے بنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم बिस्मिल्लाह बनामने खुदा बनामे मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم तो येह कहना मकरूह तो बेशक है मगर कुफ़्र कैसा, जानवर हराम भी न होगा । जबके इस लफ़्ज़ से उसकी नियत हुजूर सैय्यदे आलम صلی اللہ علیہ وسلم की सिर्फ़ तअज़ीम हो । न मआज़ल्लाह हुज़ूर को रब عزوجل के साथ शरीक ठहराना ।

इमामे अजल फ़कीहुन्नफ्स क़ाज़ी खाँ अपने फ़तवे में तहरीर फ़रमाते है---

رجل ضحی وذبح وقال بسم اللہ بنام خدائے بنام محمد علیہ السلام
قال الشیخ الامام ابوبکر محمد بن الفضل رحمہ اللہ تعالیٰ ان اراد الرجل
بذکر اسم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبجیلہ وتعظیمہ جاز ولا بأس
وان اراد بہ الشرکۃ مع اللہ تعالیٰ لاتحل الذبیحۃ -

(*तर्जमा :-* किसी शख़्स ने क़ुर्बानी की और ज़ब्ह करते वक्त "बिस्मिल्लाह बनामे खुदा-ए-बनामे मुहम्मद صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم कहा तो उस के बारे में शेख़ इमाम अबू बकर मुहम्मद बिन फ़ज़ल رحمۃ اللہ علیہ फ़रमाते है के अगर उस शख़्स ने हुज़ूर के नामे मुबारक से आप की तअज़ीम का इरादा किया तो जाइज़ है और इस में कुछ हर्ज नही, और अगर उससे खुदा के साथ शरीक करने का इरादा किया तो जानवर हलाल नहीं" ।)

बल्कि इस से भी ज़्यादा ख़ास सूरत तो येह फेरना हुआ, मसलन बनामे खुदा और बनामे फ़लाँ, जिस से साफ़ शरीक करना ज़ाहिर है अगरचे मज़हबे सही हुरमते जानवर है मगर कुफ़्र का हुक्म नहीं देते के वोह बातनी (दिल के अन्दर की बात) है क्या मालूम के उसकी नियत क्या है ।

"दुर्रे मुख़्तार" में है-----------------------------------

(*तर्जमा* :- अगर खुदा के साथ दूसरे का नाम भी लिया तो ज़ब्ह किया गया जानवर हराम होगा, जैसे باسم اللہ واسم فلاں कहा अल्लाह के नाम से और फलाँ के नाम से)- ان عطف حرمت نحو باسم اللہ واسم فلاں-

"रद्दुल मोहतार" में है-----------------------------------

هو الصحيح وقال ابن سلمة لا تصير ميتة لانها لو صارت ميتة يصير الرجل كافرا- خانيه- قلت تمنع الملازمة بان الكفر امر باطني والحكم به صعب فيفرق كذا في شرح المقدسي، شرنبلالية-

(*तर्जमा* :- यही सही है और इब्ने सलमा ने कहा के वोह ज़ब्ह किया गया जानवर मुरदार न होगा इस लिए के अगर मुरदार हो जाए तो ऐसा ज़ब्ह करने वाला काफ़िर हो जाएगा । मै कहता हूँ इस से कुफ़्र ज़रूरी मानना सही नही इस लिए के कुफ़्र के काम एक अन्दरूनी चीज़ है और उस पर हुक्म लगाना मुश्किल है तो कुफ़्र के हुक्म में एहतीयात की जाए ।)

अल्लाहो अकबर ! खूद ज़ब्ह करने वाला ख़ास तकबीर में ज़ब्ह के वक़्त खुदा के साथ ग़ैर का नाम मिला कर पुकारे और काफ़िर न हो जब तक शिर्क के मअ्ने का इरादा न करे बल्कि बनामे खुदा बनामे मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم कहे और उस नामे पाक के लेने से नबी صلی اللہ علیہ وسلم की तअ्ज़ीम ही चाहे हुज़ूर की अज़्मत ही के लिए ख़ास ज़ब्ह के वक़्त खुदा के नाम के साथ मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم का नाम कहे तो जानवर हरगिज़ हराम व मकरूह भी नही, मगर ज़ब्ह से पहले अगर किसी ने यूँ पुकार दिया के फ़लाँ का बकरा फ़लाँ की गाये, तो पुकारने वाला मुश्रिक और उस के साथ येह लफ़्ज़ मुँह से निकलते ही जानवर की भी काया पलट हो कर फ़ौरन बकरी से कुत्ता, गाये से सुवर हो गया !! अगरचे पुकारने वाला ज़ब्ह करने वाला न हो अगरचे अभी न वक़्ते ज़ब्ह न तकबीर कहते वक़्त

येह कहा गया हो । मआज़ल्लाह वोह अलफ़ाज़ क्या थे जादू के मन्तर थे के छूते ही जानवर की हैसियत बदल गई, ऐसे ज़बरदस्ती के अहकाम शरीअ़ते मुतहर से बिल्कुल बेगाना है ।

(नियाज़ में जानवर ज़ब्ह करने वालों के) ईबादत की नियत होने में (बद मज़हबों की तरफ़ से) येह दलीलें शिर्क पेश की जाती हैं के इस जानवर के ज़ब्ह करने की बजाए गोश्त ख़रीद कर तक़्सीम करना उन के (यानी सुन्नियों के) नज़दीक काफ़ी नहीं होता तो मालूम हुआ के एसाले सवाब मक़्सद नही बल्कि ग़ैरूल्लाह के लिए ज़ब्ह करना मक़सद है और साफ़ खुला शिर्क है । अगरचे वोह (सुन्नी) साफ़ कह रहे है के हमारा मतलब सिर्फ़ एसाले सवाब ही है ।

اقول :- (इस एतराज़ का जवाब येह है के) इस से सिर्फ़ इतना साबित हुआ के ख़ास ज़ब्ह मुराद है ज़ब्ह ग़ैर के लिए कहाँ से निकाला, क्या ज़ब्ह पर सवाब कोई चीज़ नही या गोश्त देने में वोह भी हासिल हो जाता है !

"इनायह" में है-----------------------------------

التضحية فيها افضل من التصدق بثمن الاضحية لان فيها جمعا بين التقرب باراقة الدم والتصدق والجمع بين القربتين افضل اه ملخصًا -

(*तर्जमा :-* क़ुर्बानी करना उसकी क़ीमत के सदक़ा करने से अफ़ज़ल है इस लिए के उस में दोनों चीज़ों का जमा होना है एक ख़ून बहाना दूसरे सदक़ा करना, और दोनों क़ुर्बतों का जमा करना अफ़ज़ल है ।)

अ़व्वाम ऐसी चीज़ों में आम तबदीली पर राज़ी नही होते मसलन जो आटा एक मुठ्ठी रोज़ाना अपने घर के ख़र्च से निकालते और हर महीने हुज़ूर पुरनूर सैय्यदना ग़ौसे आज़म رضی اللہ تعالیٰ عنہ की नियाज़ दिला कर मोहताजों को खिलाते है अगर उनसे कहीये के येह आटा जो जमा हुआ हैं अपने ख़र्च में लाईये, और उस के बदले और पकाईये, कभी न मानेंगे, हलाँकि आटे में कोई ज़ब्ह का इरादा नही । और ज़ब्ह में भी अगर उस जानवर के बदले दूसरा जानवर दीजिये हरगिज़

न लेंगे, हालाँकि ज़ब्ह करने में दोनों एक से है । तो उसका काफ़ी न समझना उसी ख़्याल की तरह है जैसे के (एसाले सवाब के लिए) ख़ास दीन का मुक़र्रर करना न के मआज़ल्लाह झूटे वहमों पर, ख़ास कर जब के वोह बेचारे साफ़ कह रहे है के हम गै़र की ईबादत नही चाहते, सिर्फ़ एसाले सवाब मक़सद है ।

और अगर इन्साफ़ कीजिये तो इस तबदीली के बारे में उन का वोह ख़्याल बे अस्ल भी नही अगरचे उन्हों ने उस में शिद्दत ज़्यादा समझ लिया हो जिन चीज़ों पर क़ुराबत की नियत कर ली गई शरीअ़ते मुतहर भी बिला वजह उनका बदलना पसंद नहीं फ़रमाती ।

लिहाज़ा अगर ग़नी (माल व दौलत वाला) क़ुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदे और किसी ख़ास शख़्स की नज़्र न हो तो जानवर मुतय्यन (Fix) नहीं हो जाता उसे इख़्तियार है के उस के बदले दूसरा जानवर क़ुर्बानी करे फिर भी बदलना मकरूह है के जब उस पर नियत कर ली तो बग़ैर किसी वजह के तबदीली न चाहिये । "हिदाया" में है-----

بالشراء للتضحية لا يمتنع البيع -

उसी (हिदाया) में है---------------------------------------

ويكره ان يبدل بها غيرها -

(*तर्जमा :-* और मकरूह है के उस जानवर की जगह दूसरा जानवर ज़ब्ह किया जाए ।) इसी तरह "तबैय्यनुल हिकाइक़" वग़ैरा मे है ।

मुसलमानों पर बद गुमानी हराम और जहाँ तक मुमकिन हो उसके कहने व करने को अच्छे इरादे व नियत पर समझना वाजिब, और यहाँ दिल के इरादे पर बग़ैर इस के वोह उस का क़ाएल भी नही तो हुक्म लगाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं और हुक्म भी कैसा कुफ़्र व शिर्क का ! जिसमें आ़ला दर्जे की एतियात फ़र्ज़ है यहाँ तक के कमज़ोर से कमज़ोर शक से भी बचाओ का पहलू निकलता हो तो उसी पर भरोसा ज़रूरी ।

अगर फ़र्ज़ कीजिये कुछ बेवाक़ूफ़ों पर शरई सुबूत भी हो के उन का

मक़्सद मआज़ल्लाह (जानवर ज़ब्ह करने से) गै़रूल्लाह की ईबादत है तो कुफ़्र का हुक्म उन्हीं पर सही होंगा उन के सबब आ़म हुक्म लगा देना और बाक़ी लोगों की भी यही नियत समझ लेना महेज़ ग़लत व झूट है ।

अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है----------------

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰی -

(*तर्जमा :-* और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ न उठाएगी ।) हक़ येह है की न आ़म तौर पर इस नाम पुकारने पर शिर्क का हुक्म सही न उसकी वजह से जानवर मुरदार मान लेना दुरूस्त, बल्कि ज़ब्ह करने वाले की नियत पूछेंगे । अगर इक़रार करे के उसकी मुराद गै़र की ईबादत है तो बेशक मुश्रिक कहेंगे वरना हरगिज़ नहीं, और (ज़ब्ह में) ना जाइज़ के हुक्म में सिर्फ़ ज़ब्ह करने वाले की नियत व कहने और ख़ास कर ज़ब्ह करते वक़्त की नियत ही पर मदार रखेंगे । अगर जानवर का मालिक हो या गै़र मालिक मुसलमान ने मआज़ल्लाह उसी शिर्क की नियत के साथ ज़ब्ह किया तो बेशक हराम के वोह उस नियत से मुरतद (दीने इस्लाम से फिरने वाला) हो गया और मुरतद का ज़ब्ह किया जानवर हलाल नहीं । और अगर अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के लिए ज़ब्ह किया और जान बुझ कर तकबीर न छोड़ी तो बेशक हलाल अगरचे इस पर एसाले सवाब या औलिया-ए-किराम की नज़्र या लोगों को नफ़ा देना वगै़रा मक़सद हो । अगरचे गै़र ज़ब्ह करने वाले की नियत मआ़ज़ल्लाह वही गै़र की ईबादत हो अगरचे ज़ब्ह से पहले या ज़ब्ह न करने वाले ने ज़ब्ह के वक़्त किसी का नाम पुकारा हो और मालिक से वोह ना पाक नियत साबित होने पर भी ज़ब्ह पर कोई असर नही करेगा जब तक ख़ूद उससे भी उसी नियत पर ज़ब्ह करना साबित न हो के जब उससे वोह नियत साबित नहीं और मुसलमान अपने रब عَزَّوَجَلَّ का नाम ले कर ज़ब्ह कर रहा है तो उस पर बद गुमानी हराम व ना जाइज़ है । मुसलमानों के ग़लत

वहमों पर मआज़ल्लाह उन्हें काफ़िर समझना खुदा के हलाल को हराम कह देना है । नामे इलाही जो तकबीर के वक़्त लिया गया उसे ग़लत व बे असर ठहराना हरगिज़ सही नहीं हो सकता । अल्लाह عزوجل इरशाद फ़रमाता है----------------------

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۔

"तुम्हें क्या हुआ के न खाओ उस जानवर से जिस के ज़ब्ह में अल्लाह का नाम याद किया गया" ।

इमाम फ़ख़रूद्दीन राज़ी رحمۃ اللہ علیہ "तफ़सीरे कबीर" में फ़रमाते है-------------------------------------

انما كلفنا بالظاهر لا بالباطن فاذا ذبحه على اسم الله وجب ان يحل ولا سبيل لنا الى الباطن ۔

"यानी हमें शरीअ़त ने ज़ाहिर पर अ़मल का हुक्म फ़रमाया है बातिन की तकलीफ़ न दी । जब उसने अल्लाह عزوجل का नामे पाक ले कर ज़ब्ह किया जानवर हलाल हो जाना वाजिब हुआ के दिल का इरादा जान लेने की तरफ़ हमें कोई राह नहीं" ।

येह चन्द नफ़ीस व खूबसूरत बातें याद रखने के क़ाबिल हैं के बहुत से इन में सख़्त ख़ता करते है ।

وبالله العصمة والتوفيق وبه الوصول الى التحقيق والله سبحانه اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم ۔

كتبه

عبده المذنب احمد رضا البريلوي عفي عنه بمحمدن المصطفى النبي الامي صلى الله عليه وسلم

मस्लके अअ़्ला हज़रत पर मज़बूती से क़ाएम रहिए यही सिरात मुस्तक़ीम है। मस्लके अअ़्ला हज़रत को समझने के लिए इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरेलवी की किताबों का मुतलआ कीजिए।